18.3.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिका व वकील प्रार्थिका को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी प्रार्थिका व वकील प्रार्थिका न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर आवेदन पत्र प्रपत्र को अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तहसीलदार दोलासाणा को तहरीर भेजी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में जमा होकर दाखिल दफ्तर हो।